भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

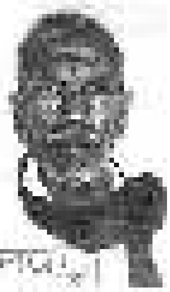

विक्रय–पत्र

लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

1.	भूमि का प्रकार	:	कृषि
2.	परगना	:	बिजनौर
3.	ग्राम	:	हसनपुर लोधरी
4.	सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नंबर)	:	भूमि खसरा संख्या–119
5.	मापन की इकाई	:	हेक्टेयर
6.	विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल	:	0.1920 हेक्टेयर
7.	सम्पत्ति का प्रकार	:	कृषि

उप निबंधक

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

8.	पेड़ों का मूल्यांकन	: नहीं
9.	बोरिंग/कूप/आदि	: नहीं
10.	सम्पत्ति की मालियत	: रू० 15,03,112/-
11.	मालियत	: रू० 7,48,350/-
12.	स्टाम्प	: रू० 1,26,280/-

चौहद्दी

अराजी नं० 72

पूरब	: प्लाट संख्या-127
पश्चिम	: प्लाट संख्या-122, 124
उत्तर	: प्लाट संख्या-[illegible]
दक्षिण	: प्लाट संख्या-[illegible]

[illegible]

ASHUTOSH CHAUHAN

[illegible]

[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

-1-

प्रथम पक्ष की संख्या-01	द्वितीय पक्ष की संख्या-01
विक्रेता का विवरण	क्रेता का विवरण
रामपाल पुत्र [illegible] निवासी- [illegible] मजरा-बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ।	अन्सल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा श्री वीरेन्द्र प्रताप सिं पुत्र स्व0 गोपाल सिंह, वर्तमान पता-प्रथम तल, वाई0एम0सी0ए0 बिल्डिंग, 18-राणा प्रताप मार्ग लखनऊ

[illegible]

[illegible]

भारत गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

विक्रय विलेख

यह [illegible] रामपाल पुत्र [illegible] निवासी– [illegible] कॉलोनी परगना–बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ जिन्हे आगे विक्रेता कहा गया है, एवं अन्सल हाउसिंग एण्ड कन्सट्रक्शन लिमिटेड द्वारा श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र स्व0 गंगापाल सिंह, कार्यालय पता–प्रथम तल, वाई0एम0सी0ए0 बिल्डिंग, 13–राणा प्रताप मार्ग लखनऊ जिन्हे आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20,000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

यह कि विक्रेता [illegible] [illegible] स्वामी क्रम संख्या-00214 [illegible] वर्ष 1413 से 1418 के खाते भूमि खसरा संख्या-119 रकबा 0.1920 हेक्टेयर, स्थित-ग्राम- [illegible] [illegible], परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ का मालिक काबिज व काबिज है, जो कि विक्रेता को [illegible] प्राप्त हुई है, तथा [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] क्रम संख्या -00214 के अनुसार उक्त भूमि विक्रेता के नाम अमल दरामद हो चुका है।

विक्रेता की भूमि भूमि कृषि योग्य नहीं है। भूमि पर पहुंचने का रास्ता भी नहीं है।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

विक्रेता की उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण हेतु अधिसूचना अंतर्गत धारा 4(1) भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 दिनांक 26/10/2010 सरकारी गजट में प्रकाशित हो चुकी है। विक्रेता को अधिग्रहण कार्यवाही के विरुद्ध कोई आपत्ति नहीं है किन्तु चूंकि विक्रेता को रुपयों की अत्यन्त आवश्यकता है एवं अधिग्रहण प्रक्रिया पूर्ण होने व प्रतिकर भुगतान में काफी समय लगने की सम्भावना है अतः विक्रेता ने क्रेता को उपरोक्त तथ्यों से अवगत कराते हुए भूमि का विक्रय करना तय किया है कि भूमि अधिग्रहीत हो जाने की दशा में मात्र क्रेता का उसके द्वारा अधिग्रहीत भूमि ही प्रतिकर प्राप्त करने का

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

X 89578

27 NOV 20

हकदार होगा। विक्रेता द्वारा भूमि अधिग्रहण की अवधारणा व अधिकार की जानकारी प्राप्त होने इसके भविष्य पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं होगा।

उक्त आराजी आज विक्रेता के कब्जे व दखल मालिकाना में मौजूद है और जो कहीं बिक्री, रेहन, लगभार, कुर्की व जमानत आदि से प्रभावित नहीं है, उक्त आराजी में किसी अन्य व्यक्ति का कोई स्वामित्व एवं अधिकार नहीं है और न ही कोई व्यक्ति भागीदार है, अब मुझको खुद विक्रेता के इसी आराजी रकबा

[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

उपरोक्त को पूर्ण स्वामित्व एवं अधिकारों सहित बिना छोड़े किसी चीज व हक के बहुत होश व हवास बिना किसी दबाव के, बाबत मुबलिग रु0 11,02,112/- (रुपया ग्यारह लाख दो हजार एक सौ बारह मात्र) में उपरोक्त क्रेता को बय बदाई किया, और कुल विक्रय धनराशि मय अदाई स्टाम्प शुल्क क्रेता उपरोक्त से नीचे दिये गये विवरण के अनुसार प्राप्त करके कब्जा व दखल मालिकाना आराजी बयशुदा पर आज की तारीख से क्रेता उपरोक्त का बावर्द कब्जा करा दिया, अब विक्रेता व वारिसान विक्रेता को कोई हक व दावा निस्बत आराजी बयशुदा व

[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

-4-

विक्रय सम्पत्ति के क्रेता से बाकी नहीं रहा, अगर कोई दावा साबित करे तो वह बिल्कुल नाजायज होवे, और अगर अदालती त्रुटि वश अथवा उसका कोई अंश क्रेता के स्वामित्व एवं अधिकार से निकल जाने या कब्जा न मिले या उक्त विक्रय हिबा, रजिस्टर, कुर्की व नामान्तरण आदि से बाधित पायी जाती है तो ऐसी स्थिति में क्रेता को अधिकार होगा कि वह अपना मूल विक्रय धनराशि मय खर्चा-खर्चा व नुकसान के साथ विक्रेता व वारिसान विक्रेता से व विक्रेता की अन्य सम्पत्ति चल व अचल से

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

उचित न्यायालय प्राप्त कर लेवे, इसमें विक्रेता व वारिसान विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

उक्त क्रेता कम्पनी को पूरा अधिकार है कि वह विक्रीत आराजी के सम्बन्ध में समस्त सरकारी अभिलेखों में अपने नाम दाखिल-खारिज करा लेवें।

आराजी स्थलीय में कृषि कार्य होता है, आराजी स्थलीय में पेड़, ट्यूबवेल, कुआं व इमारत आदि नहीं है।

AUTHORISED SIGNATORY

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

AK 542082

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- 1 -

आराजी उल्लेखित किसी लिंक मार्ग, जनपदीय मार्ग व राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नहीं है।

आराजी स्थित ग्राम [illegible], परगना [illegible] की अर्धनगरीय क्षेत्र की निर्धारित दर के अन्तर्गत आता है जो नगर निगम सीमा के बाहर स्थित है जिसकी भूमि भूमि की बाजार औसत 40,00,000/- रुपया प्रति हेक्टेअर की दर से निर्धारित है जिसके अनुसार विक्रित भूमि रकबी 0.0920 हेक्टेअर की मालियत रू0 3,68,000/- होती है जो कि विक्रय मूल्य से कम है, अतः

[illegible]

AUTHORISED SIGNATORY

[illegible]

[illegible]

नियमानुसार विक्रय मूल्य पर अंकन स्टाम्प शुल्क 1,26,250/- रू0 अदा किये जा रहे हैं।

उपरोक्त आराजी मुख्य मार्ग सुल्तानपुर रोड से 1 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेता अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है।

यह कि भूमि अधिग्रहीत हो जाने की दशा में अधिग्रहीत भूमि का प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकार मात्र क्रेता या क्रेता द्वारा अधिकृत व्यक्ति को होगा। विक्रेता या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को प्रतिकर प्राप्त करने का हक न होगा। विक्रेता या उसकी ओर से कोई भी व्यक्ति भविष्य में उक्त भूमि के अधिग्रहण व प्रतिकर से सम्बन्धित कोई दावा/मुकदमा किसी न्यायालय /अधिकारी /प्राधिकरण के समक्ष नहीं करेगा।

यह कि ऊपर प्रयोग किये गये शब्दों ''विक्रेता'' एवं ''क्रेता'' में, जब तक वे प्रसंग के प्रतिकूल न हों, उनके विधिक प्रतिनिधिगण व उत्तराधिकारीगण भी सम्मिलित हैं।

<u>विवरण भुगतान</u>

1. रू0 18,02,112/- (रूपया अठ्ठारह लाख दो हजार एक सौ बारह मात्र) द्वारा चेक संख्या 154579 दिनांकित 29.11.2011 पंजाब नेशनल बैंक शाखा हजरतगंज, लखनऊ विक्रेता ने क्रेता से वसूल पाया।

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य रू0 18,02,112/- (रूपया अठ्ठारह लाख दो हजार एक सौ बारह मात्र) विक्रेता ने क्रेता से वसूल पाया, जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करता है।

लिहाजा यह बैनामा विक्रेता ने अपनी खुशी व रजामन्दी से खूब सोच व समझकर बिना किसी दबाव के, क्रेता उपरोक्त के

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

उप निबंधक (प्रथम)

[illegible]

पढ़ व सुन लिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे।

अतः आज उभय पक्षों ने इस विक्रय विलेख पर अपने-अपने हस्ताक्षर करके इसे निष्पादित किया।

नोट : पृष्ठ संख्या - पर लेख सामने वाले पेज से लिखी गई।

दिनांक:29.11.2011

लखनऊ

गवाहान:-

1. [illegible]

विक्रेता

[illegible]

2. [illegible]

क्रेता

PAN- AAACA[illegible]

मसविदाकर्ता

(राकेश [illegible] सिंह)

एडवोकेट

टाईपकर्ता

(राजू रानी)

सिविल कोर्ट, लखनऊ

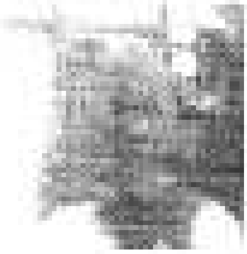

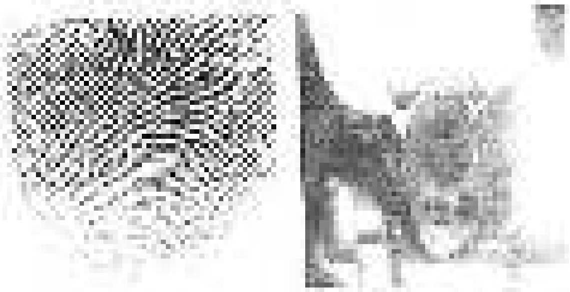

रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1908 की धारा 32-ए. के अनुपालन हेतु
फिंगर प्रिन्टस्

विक्रेता का नाम व पता- रामपाल पुत्र दुला निवासी- हसनपुर खेवली परगना-बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

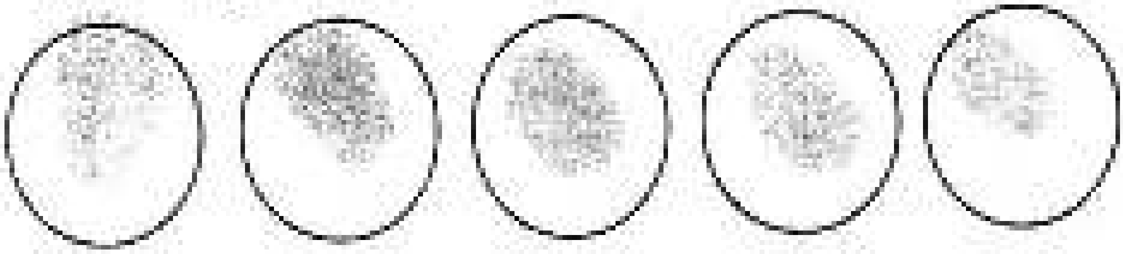

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

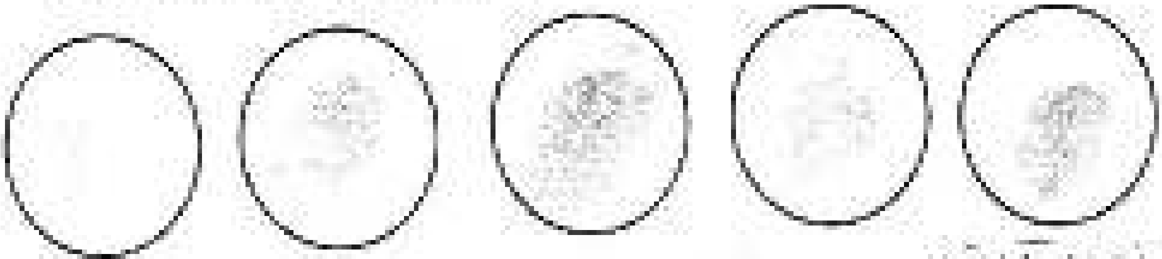

हस्ताक्षर विक्रेता

क्रेता का नाम व पता- अन्सल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा श्री [illegible] सिंह पुत्र स्व0 [illegible] सिंह, [illegible], [illegible] 13-राणा प्रताप मार्ग लखनऊ

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

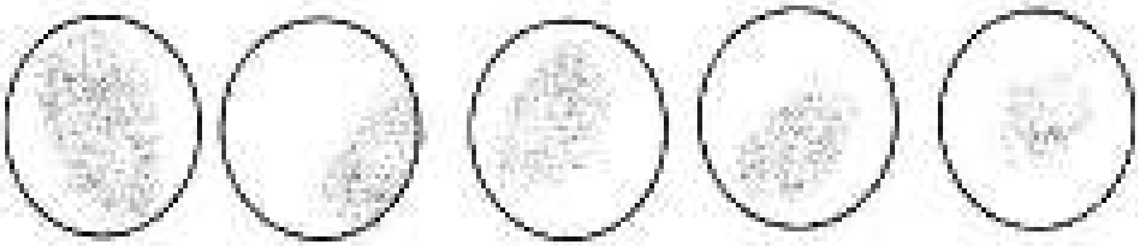

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

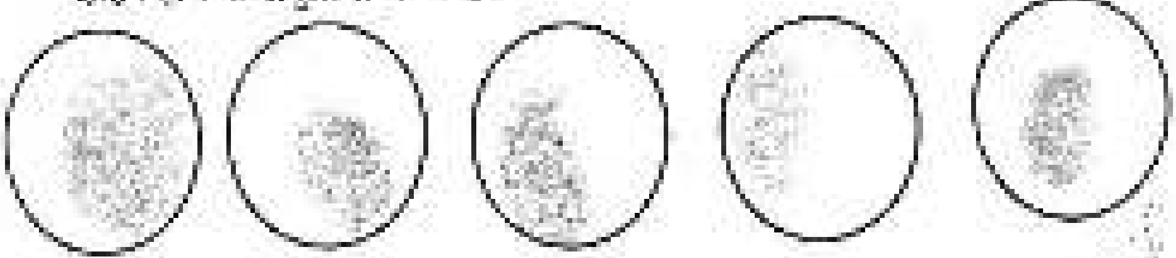

हस्ताक्षर क्रेता

[illegible] 28/11/2013 [illegible]

[illegible] 1 [illegible] 13488

[illegible] 265 [illegible] 294 [illegible] 17436

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 2013